

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

//आदेश//

क्रमांक II/536 /

जबलपुर, दिनांक 30/07/2025

II-14-65/97

श्रीमती बिंदु चौपड़ा, Sr. C.P.A., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ ग्वालियर को दिनांक 03.04.2025 से 17.05.2025 तक 45 दिन (suffix 18.05.2025) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार



(धरमिन्दर सिंह)

रजिस्ट्रार जनरल

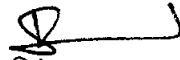
पृष्ठांकन क्रमांक II/537 /

जबलपुर, दिनांक 30/07/2025

II-14-65/97

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 4004/स्था. ग्वालियर, दिनांक 11/06/2025 के संदर्भ में श्रीमती बिंदु चौपड़ा, Sr. C.P.A., उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर का आवेदन पत्र एवं संलग्न सहपत्र वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(हर्ष सिंह बहरावत)

रजिस्ट्रार (प्रशासन)